

प्रकरण संख्या :- 119/19

तारीख 28.5.19

01. रमेशचन्द्र पिता घीसीलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. राधेश्याम पिता देबीलाल जाति जोशी उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. भैरूलाल पिता नारायण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी उत्तमनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. पन्नालाल पिता नारायण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी उत्तमनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. राजेश कुमार पिता रोडूलाल जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
05. रोडूलाल पिता सोजीराम जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 11-6-19

प्रार्थना पत्र रमेशचन्द्र पिता घीसीलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा बांका पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 213 पर अंकित आराजी संख्या 1002/478 रकबा 14-00 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कंला को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा बांका पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 213 पर अंकित आराजी संख्या 1002/478 रकबा 14-00 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।  
आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला भीलवाडा

